Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत और जर्मनी में किशोर अपराध पर एक कानूनी आलोचनात्मक विश्लेषण पहलू

मोहित श्रीवास्तव* डॉ. योगेश वामंकर**

*रिसर्च स्कॉलर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिलकिसगंज, सीहोर (म.प्र.) भारत
**एसोसिएट प्रोफेसर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिलकिसगंज, सीहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक सरसरी नजर ही इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि लगातार बढ़ती अपराध दर आज समाज की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, और यह स्पष्ट नहीं है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ताकि यह भारत जैसे तेजी से विकासशील राष्ट्र के विकास में बाधा न बने। अपराध रोकथाम के क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोणों की वकालत की गई है, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक क्षेत्र देश में किशोर अपराधियों की पहचान और पुनर्वास है,जिसका उद्देश्य बच्चों के संभावित भविष्य के आपराधिक व्यवहार में सुधार और रोकथाम करना है। इस प्रकार, किशोर अपराध का अध्ययन अपराध अनुसंधान में एक विशेष स्थान रखता है। इस प्रकार के कई अध्ययन समय-समय पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में किए गए हैं,जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से किशोर अपराध के मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण, दर्शन और विचारों में भिन्नता है। आज के तेजी से बदलते समय में, किशोर अपराध की गंभीरता को समझने के लिए इस क्षेत्र में एक समेकित शोध की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से पिछले वर्षों में विकसित हुई मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

किशोर अपराध के विभिन्न आयाम हैं जिन्हें इसके अनुभवजन्य अध्ययन के दौरान ध्यान में रखना आवश्यक है। हम राष्ट्रीय स्तर पर यह विचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि मानवीय आचरण के संबंध में अब तक क्या हुआ है और वर्तमान में क्या हो रहा है। विशेष रूप से 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के संदर्भ में, जो कानूनी और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से बच्चे या किशोर हैं।

बच्चे होने के नाते, उन्हें माता-पिता, रिश्तेदारों,पड़ोसियों, समुदाय आदि के सख्त नियंत्रण में रहना चाहिए, लेकिन जहां परिस्थितियां प्रोत्साहित करती हैं और उचित ठहराती हैं,वे समुदाय या समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के मानकों का उल्लंघन करने लगते हैं,जिसके कारण उन्हें कानूनी ढांचे के दायरे में किशोर अपराधी कहा जाता है। वर्तमान विश्लेषण में केवल उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखा गया है जिन्हें कानूनी मानकों के अनुसार अपराधी माना गया है। संभवत: ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनका आपराधिक व्यवहार जानबूझकर या अनजाने में राज्य के प्राधिकरण या एजेंसियों द्वारा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत नहीं लाया गया हो और दर्ज नहीं किया गया हो। और हम इस विषय के अंतर्गत जर्मनी जैसे अन्य देशों में किशोर अपराध से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे।

यह भारत में किशोर अपराध की प्रवृत्ति का एक व्यापक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो आजकल तेजी से बदल रही है। गहन विवादों के बीच पारित किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले, यदि 16 वर्ष से कम आयु का लड़का या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की कोई अपराध करती थी, तो उसे किशोर अपराधी कहा जाता था। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद, यदि 18 वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की कोई अपराध करती है, तो उसे कानून के साथ संघर्ष करने वाला किशोर, यानी किशोर अपराधी माना जाएगा। न केवल ष्अपराधीष् शब्द की अवधारणात्मक रूपरेखा में बदलाव आया है, बल्कि अपराध का आकार, स्वरूप और दर भी लगातार बदल रही है। भारत में कानून से संघर्ष करने वाले किशोरों की संख्या, यानी जिन्हें परंपरागत रूप से किशोर अपराधी कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और जिला स्तरीय क्षेत्रों मां घट रही है। हाल के वर्षों में अपराध दर में भी स्पष्ट रूप से गिरावट देखी जा रही है।

प्रस्तावना – किशोर अपराध वर्तमान समय में विश्व स्तर पर एक गंभीर सामाजिक एवं कानूनी समस्या बन चुका है। जब कोई बालक या किशोर, जिसकी आयु कानून द्वारा निर्धारित सीमा से कम होती है, किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। भारत सहित अनेक देशों में बढ़ते किशोर अपराध समाज, परिवार, शिक्षा व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। चोरी, हिंसा, नशीले पदार्थों का सेवन, साइबर अपराध, यौन अपराध तथा गैंग गतिविधियों जैसे अपराधों में किशोरों की भागीदारी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है।

भारत में किशोर अपराध की समस्या के समाधान हेतु National Crime Records Bureau के आँकड़ों तथा किशोर न्याय प्रणाली के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत में Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य अपराध करने वाले किशोरों के सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम दंड के स्थान पर सुधारात्मक दृष्टिकोण को महत्व देता है। इसके बावजूद, गंभीर अपराधों में किशोरों की बढ़ती संलिप्तता ने भारतीय न्याय व्यवस्था के समक्ष कई कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

अन्य देशों जैसे United States, United Kingdom, Japan तथा

Canada में किशोर न्याय प्रणाली भारत से भिन्न है। कुछ देशों में कठोर दंडात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है, जबकि कुछ देशों में पुनर्वास, परामर्श और शिक्षा आधारित सुधारात्मक नीतियों को प्राथमिकता दी जाती है। इन देशों की कानूनी व्यवस्थाओं का अध्ययन यह समझने में सहायक होता है कि किशोर अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन-सी नीतियाँ अधिक प्रभावी हैं।

यह शोध भारत और अन्य देशों में किशोर अपराध की स्थिति, उसके कारणों, प्रभावों तथा उपलब्ध कानूनी व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। साथ ही यह अध्ययन विभिन्न देशों की किशोर न्याय प्रणालियों की तुलना करते हुए भारतीय कानून की कमियों, चुनौतियों तथा सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगा। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि किशोर अपराध की समस्या के समाधान हेतु केवल दंड पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, पारिवारिक सहयोग और प्रभावी पुनर्वास नीतियाँ भी अत्यंत आवश्यक हैं।

बच्चे एक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे आज रखी जा रही नींव हैं, जिन पर कल राष्ट्र का भविष्य टिका होगा। इसलिए, इन नींवों को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें सर्वांगीण विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य के सशक्त नागरिक बन सकें, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से स्वस्थ हों, और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक कौशल और प्रेरणाओं से संपन्न हों।

अपने बच्चों की उचित देखभाल करना और उन्हें जीवन में एक मजबूत शुरुआत प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य है, और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उचित पोषण, देखभाल मिले और किसी भी संभावित घटना से आवश्यक सुरक्षा मिले जो उनके शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, पतन आदि की ओर ले जा सकती है।

यह कर्तव्य राज्य द्वारा कानून के माध्यम से लागू किया जाता है, क्योंकि उपेक्षित बच्चों की देखभाल और संरक्षण की अंतिम जिम्मेदारी राज्य की होती है। जहां माता-पिता आवश्यक देखभाल और संरक्षण प्रदान करने में विफल या असमर्थ होते हैं, या घर का वातावरण अस्वस्थ या बच्चों के उचित विकास के लिए हानिकारक होता है, वहां राज्य से 'पितृसत्तात्मक अभिभावक' के रूप में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है ताकि उपेक्षित बच्चों को समाज में उनके पुनर्वास के लिए उचित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, और उन्हें समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सके। यह दायित्व एक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य में अधिक स्पष्ट हो जाता है, जहां बच्चों के मानवाधिकारों को कानून के शासन और वितरणात्मक न्याय की गारंटी के माध्यम से लागू किया जाना है।

बच्चों की मानसिक अपरिपक्वता, भावनात्मक अस्थिरता, कोमल और संवेदनशील उम्र, कमजोर शारीरिक बनावट, दुराचार और हिंसा की ओर आसानी से प्रवृत्ता होने की प्रवृत्ति, स्वयं की देखभाल करने में असमर्थता आदि के कारण, उनके व्यक्तित्व को एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए विशेष देखभाल, संरक्षण, उपचार और स्नेहपूर्ण ध्यान की आवश्यकता होती है। बच्चों के मानवाधिकार नैतिक और भौतिक उपेक्षा द्वारा उनके शोषण से बचाव के लिए सुनियोजित और सुरक्षित संरक्षण की मांग करते हैं।

किशोर अपराध का अर्थ – किशोर अपराध से आशय ऐसे अवैधानिक या असामाजिक कार्यों से है, जिन्हें कोई बालक या किशोर, जिसकी आयु कानून द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो, करता है। जब कोई किशोर चोरी, हिंसा, नशाखोरी, झगड़ा, साइबर अपराध या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। सामान्यत: यह अपराध सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कारणों से उत्पन्न होते हैं

भारत में Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किशोर या बालक माना जाता है।

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार: 'Child in Conflit with Law' से अभिप्राय ऐसे बालक से है, जिसने अपराध किया हो और जिसकी आयु अपराध किए जाने की तिथि पर 18 वर्ष से कम हो। अर्थात, भारतीय कानून में किशोर अपराध का संबंध केवल अपराध से नहीं, बल्कि अपराध करने वाले बालक की आयु और उसके सुधारात्मक अधिकारों से भी है। भारतीय किशोर न्याय प्रणाली दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देती है।

किशोर अपराध की परिभाषाएँ :

1. **गिलिन एवं गिलिन** – 'किशोर अपराध वह व्यवहार है जो समाज के नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करता है तथा जिसे समाज अस्वीकार्य मानता है।'
2. **सिरिल बर्ट** – 'जब कोई बालक या किशोर ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है जो कानून के विरुद्ध हों और समाज के लिए हानिकारक हों, तब उसे किशोर अपराध कहा जाता है।'
3. **संयुक्त राष्ट्र** – 'किशोर अपराध ऐसे गैर-कानूनी कार्यों को कहा जाता है, जो कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और जिनके लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।'

इतिहास

भारत और अन्य देशों में किशोर अपराध का इतिहास – किशोर अपराध का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही समाज में बच्चों और किशोरों द्वारा अनुचित या अपराधपूर्ण व्यवहार की घटनाएँ देखने को मिलती रही हैं। प्रारंभिक समय में बच्चों और वयस्क अपराधियों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता था तथा दोनों को समान दंड दिया जाता था। समय के साथ यह विचार विकसित हुआ कि किशोर मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते, इसलिए उनके साथ अलग और सुधारात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए।

प्राचीन एवं मध्यकालीन स्थिति – प्राचीन समाजों में अपराध करने वाले बच्चों को कठोर दंड दिया जाता था। उस समय यह माना जाता था कि अपराध चाहे किसी भी आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाए, उसके लिए समान दंड आवश्यक है। मध्यकाल में भी यूरोप तथा अन्य देशों में किशोर अपराधियों को वयस्क अपराधियों के साथ जेलों में रखा जाता था, जिससे उनमें और अधिक अपराध प्रवृत्ति विकसित होती थी।

आधुनिक किशोर न्याय प्रणाली का विकास – 19वीं शताब्दी में औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा गरीबी के कारण किशोर अपराधों में वृद्धि

हुई। इसके परिणामस्वरूप समाज सुधारकों और विधिवेत्ताओं ने यह मांग उठाई कि बच्चों के लिए अलग न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। इसी विचार के आधार पर United States में वर्ष 1899 में पहला किशोर न्यायालय स्थापित किया गया। इसके बाद United Kingdom, Canada तथा अन्य देशों में भी किशोर न्याय प्रणाली विकसित हुई।

भारत में किशोर अपराध का इतिहास – भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किशोर अपराधियों के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1850 में "Apprentices Act" लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अपराधी बच्चों को प्रशिक्षण देकर सुधारना था। इसके बाद वर्ष 1897 में "Reformatory Schools Act" बनाया गया, जिसके अंतर्गत किशोर अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार विद्यालयों में भेजने की व्यवस्था की गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बाल अधिकारों और किशोर न्याय प्रणाली को अधिक महत्व दिया गया। वर्ष 1960 में "Children Act" लागू किया गया, जिसने बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की। बाद में Juvenile Justice Act, 1986 पारित किया गया, जिससे पूरे देश में एक समान किशोर न्याय प्रणाली लागू हुई।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों से संबंधित मानकों को अपनाने के बाद भारत ने Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 लागू किया। इसके बाद बढ़ते गंभीर अपराधों को ध्यान में रखते हुए Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 लागू किया गया। इस अधिनियम में 16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

वर्तमान स्थिति – आज अधिकांश देशों में किशोर न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि किशोरों का सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन करना है। शिक्षा, परामर्श, पारिवारिक सहयोग तथा सामाजिक जागरूकता को किशोर अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी बढ़ते साइबर अपराध, नशाखोरी और हिंसात्मक घटनाएँ विश्वभर में किशोर न्याय प्रणाली के सामने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं।

जर्मनी में किशोर अपराध का इतिहास – जर्मनी में किशोर अपराध की अवधारणा का विकास सामाजिक कल्याण और सुधारवादी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ। प्रारंभिक समय में यहाँ भी किशोर अपराधियों को वयस्क अपराधियों के समान दंड दिया जाता था, लेकिन बाद में यह समझ विकसित हुई कि बच्चों के सुधार हेतु अलग न्याय प्रणाली आवश्यक है।

किशोर न्याय प्रणाली का विकास – 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी ने किशोर अपराधियों के लिए विशेष कानून और न्यायालय विकसित किए। वर्ष 1923 में जर्मनी में 'Juvenile Court Act' लागू किया गया, जिसने किशोर न्याय प्रणाली को संगठित रूप प्रदान किया।

इस कानून का उद्देश्य किशोर अपराधियों को कठोर दंड देने के बजाय उनका नैतिक एवं सामाजिक सुधार करना था। जर्मनी की न्याय प्रणाली में शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक पुनर्वास को विशेष महत्व दिया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विकास– द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक मानवीय बनाया गया। सरकार ने यह नीति अपनाई कि किशोर अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उन्हें सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए।
जर्मनी में किशोर न्याय प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है:–

- सुधार और पुनर्वास
- शिक्षा और प्रशिक्षण
- सामाजिक पुनर्स्थापन
- न्यूनतम कारावास

वर्तमान स्थिति – आज जर्मनी की किशोर न्याय प्रणाली विश्व की सबसे प्रभावी सुधारात्मक प्रणालियों में मानी जाती है। यहाँ किशोर अपराधियों को परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा सामुदायिक सेवा के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाता है। जर्मनी में दंड की अपेक्षा पुनर्वास को अधिक महत्व दिया जाता है।

भारत और अन्य देशों में किशोर अपराध से संबंधित प्रावधान
किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार

- क्रूरता (धारा 75): किसी बच्चे पर हमला करने, उसे छोड़ने, दुर्व्यवहार करने या उसे असुरक्षित छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- भीख मांगने के लिए रोजगार (धारा 76): 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना। मादक पदार्थ
- (धारा 77 और 78): शराब या नशीली दवाओं की आपूर्ति के लिए किसी बच्चे को देना या उसका उपयोग करना 7 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय है।
- बाल श्रमिक का शोषण (धारा 79): 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना। बिक्री और खरीद (धारा 81): 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
- शारीरिक दंड (धारा 82): किसी बच्चे की देखरेख में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे शारीरिक दंड देने पर 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

जर्मन कानून – जर्मन कानून में, किशोरों के लिए प्रावधानों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: जब कोई नाबालिग अपराध का अपराधी होता है, और जब वह किसी अपराध का शिकार होता है। यह ढांचा सजा की तुलना में पुनर्वास पर अधिक जोर देता है।

1. **अपराधी के रूप में किशोर:** जर्मन किशोर न्याय प्रणाली 'सजा के बजाय शिक्षा' के सिद्धांत पर काम करती है। इसे नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून युवा न्यायालय कानून है। आपराधिक जिम्मेदारी की आयुरू 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आपराधिक रूप से उत्तारदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
2. **किशोर (आयु 14–17):** विशेष किशोर न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है, उन्हें मुख्य रूप से शैक्षिक उपायों, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों (जैसे चेतावनी या पीड़ित–अपराधी मध्यस्थता), या अल्पकालिक हिरासत की सजा दी जाती है।
3. **किशोर (आयु 18–20):** युवा वयस्कों पर किशोर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे कम उम्र के व्यक्ति की भावनात्मक या बौद्धिक परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं, या यदि विशिष्ट अपराध ष्युवा दुराचारष का कार्य था।

भारत और जर्मनी के बीच किशोर अपराध की आवृत्ति का आलोचनात्मक विश्लेषण – भारत और जर्मनी के बीच किशोर अपराध की आवृत्ति का आलोचनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कानूनी व्यवस्थाओं

में व्यापक अंतर होने के कारण किशोर अपराध की प्रकृति, कारण तथा उसकी आवृत्ति में भी महत्वपूर्ण भिन्नताएँ पाई जाती हैं। किशोर अपराध से आशय उन अपराधों से है जो विधि द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के बच्चों या किशोरों द्वारा किए जाते हैं। भारत में किशोर अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभर रहा है, जबकि जर्मनी जैसे विकसित देशों में यह समस्या अपेक्षाकृत नियंत्रित दिखाई देती है।

भारत में किशोर अपराध की बढ़ती आवृत्ति के पीछे अनेक कारण उत्तारदायी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा, नशे की लत, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव तथा गलत संगति किशोरों को अपराध की ओर प्रेरित करती है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण परिवारों में नियंत्रण और नैतिक मूल्यों की कमी भी किशोर अपराध को बढ़ावा देती है। भारत में चोरी, लूट, हत्या, यौन अपराध, साइबर अपराध तथा नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में किशोरों की संलिप्तता बढ़ती देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में किशोर अपराध के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों को दर्शाती है।

इसके विपरीत, जर्मनी में किशोर अपराध की आवृत्ति अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण वहाँ की मजबूत शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रभावी पुनर्वास नीति है। जर्मनी में सरकार किशोरों के मानसिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान देती है। वहाँ के विद्यालयों में परामर्श सेवाएँ, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे किशोर अपराध की संभावना कम हो जाती है। जर्मनी की किशोर न्याय प्रणाली दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देती है। वहाँ अपराध करने वाले किशोरों को जेल भेजने के बजाय परामर्श, सामुदायिक सेवा, शिक्षा तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास किया जाता है।

आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की किशोर न्याय प्रणाली में अभी भी अनेक कमियाँ विद्यमान हैं। सुधार गृहों की खराब स्थिति, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पुनर्वास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना तथा सामाजिक जागरूकता का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है। कई बार किशोर अपराधियों को उचित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे दोबारा अपराध की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी ओर, जर्मनी में किशोर अपराधियों के प्रति मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिससे अपराध की पुनरावृत्ति कम होती है।

भारत और जर्मनी की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि केवल कठोर कानून बनाकर किशोर अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए परिवार, समाज, विद्यालय तथा सरकार सभी की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। भारत को जर्मनी की पुनर्वास आधारित नीतियों, शिक्षा सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा मॉडल से सीख लेकर किशोर न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। यदि किशोरों को उचित शिक्षा, नैतिक मार्गदर्शन, रोजगार के अवसर और मानसिक सहयोग प्रदान किया जाए, तो किशोर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार, किशोर अपराध की समस्या केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक चुनौती भी है, जिसके समाधान के लिए समग्र और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष – भारत और जर्मनी में किशोर अपराध पर किए गए इस कानूनी आलोचनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किशोर अपराध केवल एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से जुड़ी एक जटिल चुनौती है। दोनों देशों की किशोर न्याय प्रणालियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि किशोर अपराध की रोकथाम के लिए केवल कठोर दंड पर्याप्त नहीं है, बल्कि सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण अधिक प्रभावी सिद्ध होता है।

भारत में किशोर अपराध की बढ़ती घटनाएँ गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, नशाखोरी, सामाजिक असमानता तथा आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग जैसी समस्याओं से प्रभावित हैं। यद्यपि भारत में Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के माध्यम से किशोर अपराधियों के सुधार और पुनर्वास हेतु महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं, फिर भी सुधार गृहों की खराब स्थिति, पुनर्वास योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। इसके कारण कई बार किशोर अपराधी समाज की मुख्यधारा में पुन: स्थापित नहीं हो पाते और पुन: अपराध की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

दूसरी ओर, जर्मनी की किशोर न्याय प्रणाली पुनर्वास, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा सामाजिक पुनर्स्थापन पर आधारित है। वहाँ किशोर अपराधियों को अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि सुधार योग्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जर्मनी की व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि यदि किशोरों को उचित शिक्षा, परामर्श, पारिवारिक सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, तो अपराध की पुनरावृत्ति को काफी हद तक रोका जा सकता है।

भारत और जर्मनी की तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत को अपनी किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। भारत को जर्मनी की पुनर्वास आधारित नीतियों, शिक्षा प्रणाली तथा सामाजिक कल्याण मॉडल से सीख लेकर सुधार गृहों की स्थिति में सुधार, मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।

अंतत: यह कहा जा सकता है कि किशोर राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं और उनका संरक्षण, सुधार तथा पुनर्वास समाज और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। यदि बच्चों को उचित शिक्षा, नैतिक मार्गदर्शन, सुरक्षित पारिवारिक वातावरण तथा सकारात्मक सामाजिक अवसर प्रदान किए जाएँ, तो किशोर अपराध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि कानून के साथ-साथ समाज, परिवार, विद्यालय तथा सरकार सभी मिलकर किशोरों के उज्ज्वल भविष्य और अपराधमुक्त समाज के निर्माण हेतु समन्वित प्रयास करें।

सुझाव – भारत और जर्मनी में किशोर अपराध की स्थिति तथा किशोर न्याय प्रणाली के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि किशोर अपराध की समस्या के समाधान के लिए केवल कानूनी दंड पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा पुनर्वासात्मक उपायों को भी समान महत्व देना आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. **शिक्षा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए–** विद्यालयों में

केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा, अनुशासन, सामाजिक उत्तारदायित्व तथा जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। इससे किशोरों में सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी।

2. **पारिवारिक वातावरण को मजबूत बनाया जाए –** परिवार किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता–पिता को बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाना चाहिए तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग प्रदान करना चाहिए। घरेलू हिंसा, उपेक्षा और पारिवारिक विघटन को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

3. **मनोवैज्ञानिक परामर्श और काउंसलिंग की व्यवस्था हो –** किशोरों में मानसिक तनाव, अवसाद, क्रोध तथा सामाजिक दबाव को कम करने के लिए विद्यालयों और सुधार गृहों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे किशोरों को अपराध की ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा।

4. **सुधार गृहों की स्थिति में सुधार किया जाए –** भारत में कई सुधार गृहों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहाँ स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि किशोर अपराधियों का वास्तविक सुधार संभव हो सके।

5. **पुनर्वास आधारित न्याय प्रणाली को प्राथमिकता दी जाए –** जर्मनी की तरह भारत में भी दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। किशोर अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण और सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

6. **साइबर अपराध और नशाखोरी पर नियंत्रण आवश्यक है –** वर्तमान समय में किशोरों में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके लिए इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, नशा मुक्ति अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

7. **कानूनी जागरूकता बढ़ाई जाए –** किशोरों तथा उनके अभिभावकों को किशोर न्याय कानूनों और बाल अधिकारों के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्यालयों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कानूनी साक्षरता अभियान चलाए जा सकते हैं।

8. **सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं –** किशोर अपराध की रोकथाम केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। समाज, परिवार, विद्यालय, गैर–सरकारी संगठन तथा न्याय प्रणाली सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सामुदायिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता से ही इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि किशोर अपराध की समस्या का समाधान कठोर दंड में नहीं, बल्कि बच्चों को सही दिशा, शिक्षा, सुरक्षा, प्रेम और अवसर प्रदान करने में निहित है। यदि किशोरों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए, तो वे राष्ट्र के जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बन सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल, एच. ओ. (2019). मानवाधिकार। इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
2. आहूजा, राम. (2018). भारत में सामाजिक समस्याएँ। जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
3. बेदी, किरण. (2017). भारत में किशोर अपराध एवं आपराधिक न्याय प्रणाली। नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी।
4. भट्टाचार्य, एस. के. (2016). भारत में किशोर न्याय प्रणाली। नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।
5. गिलिन, जे. एल., एवं गिलिन, जे. पी. (1954). सांस्कृतिक समाजशास्त्र। न्यूयॉर्क: मैकमिलन कंपनी।
6. भारत सरकार। (2015). किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
7. कुमार, वी. (2020). भारत में बाल अधिकार एवं किशोर न्याय। नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस।
8. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (2022). भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
9. परांजपे, एन. वी. (2021). अपराधशास्त्र एवं दंडशास्त्र। इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी।
10. पिल्लई, पी. एस. ए. (2019). आपराधिक विधि। नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्थ्स।
11. सदरलैंड, ई. एच., एवं क्रेसी, डी. आर. (1978). अपराधशास्त्र के सिद्धांत। फिलाडेल्फिया: लिप्पिनकॉट कंपनी।
12. संयुक्त राष्ट्र। (1985). किशोर न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियम (बीजिंग नियम)। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
13. यूनिसेफ। (2021). बाल संरक्षण एवं किशोर न्याय रिपोर्ट। न्यूयॉर्क: यूनिसेफ।
14. वर्मा, एस. के. (2015). भारत में किशोर न्याय प्रणाली एवं बाल अधिकार। नई दिल्ली: इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट।
15. जर्मन युवा न्यायालय अधिनियम। (1923). जर्मनी किशोर न्याय अधिनियम। बर्लिन: संघीय न्याय मंत्रालय, जर्मनी।

****